न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

प्र.न. 06/2019

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र घीसालाल,
2. शंकर पुत्र घीसालाल,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम धोबलाई, तहसील चौमूं, जयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. नवीनप्रकाश पुत्र चून्या
2. छीतर पुत्र चौथमल
3. नाथी पुत्र चौथमल
4. सोहनी पुत्री चौथमल
5. मन्नी पुत्री चौथमल
6. बिदामी पुत्री चौथमल
7. ओमप्रकाश पुत्र नाथूराम उर्फ नाथ्या उर्थ नाथा
8. गोपाल पुत्र नाथूराम उर्फ नाथ्या उर्थ नाथा
9. राजेन्द्र पुत्र नाथूराम उर्फ नाथ्या उर्थ नाथा
10. श्रवण पुत्र नाथूराम उर्फ नाथ्या उर्थ नाथा
11. सुगन चन्द पुत्र भूरा
    समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम धोबलाई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, उपतहसीलदार महोदय, उपतहसील गोविन्दगढ, जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956</u>

निर्णय दिनांक–06.01.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम धोबलाई, पटवार हल्का धोबलाई, भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1667 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 1668 रकबा 3.27 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 3.43 है0 स्थित है जो सम्पूर्ण की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

ग्राम धोबलाई में स्थित खसरा नम्बर 794 रकबा 0.87 है0, खसरा नम्बर 1662 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 1664 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 1666 रकबा 1.15 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 2.99 है0 व खसरा नम्बर 763 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 764 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 1632 रकबा 0.42 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.99 है0 अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 की भूमि प्रार्थीगण की भूमि के चारो ओर स्थित है।

उक्त वर्णित प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2018 को श्रीमान उपतहसीलदार साहब गोविन्दगढ के आदेश क्रमांक एल.आर./17/1870 दिनांक 19.05.2017 की पालना में ग्राम धोबलाई के आराजी खसरा नम्बर 1667, 1668 किता 2 कुल रकबा 3.43 है0 के सीमाज्ञान हेतु मौके पर पहुंचा। मौके पर प्रार्थीगण सह खातेदार उपस्थित मिले। उपस्थित सह खातेदार ने बताया कि हमारे आराजी खसरा नम्बर 1667 से लगवा खसरा नम्बर की न्यायालय आदेश से पत्थरगढी हो चुकी है। अतः पत्रावली के अलावा हमारी आराजी की बाहरी सीमाओं का सीमाज्ञान करवा दिया जावें जिस पर उपस्थित के समक्ष चाह खसरा नम्बर 758 से चाह खसरा नम्बर 14678 व सरहदी कोना कुआ नं0 44 को चैक किया जो मौका नक्शा सही पाये गये। उक्त मुस्तकिल निशानात से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 1667, 1668 की बाहरी सीमाओं का चाहा गया सीमाज्ञान करवाया गया। फर्द मौका पढ़, सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये। जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण अपनी खसरा नम्बरों की भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है।

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना त्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थी ख्या 12 को आदेशित किया जावे कि वह सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम धोबलाई, पटवार हल्का धोबलाई तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 1667 रकबा 0.16 है0, खसरा नंम्बर 1668 रकबा 3.27 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 3.43 है0 की पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं0 1 लगा. 12 बावजूद तामील अनुपस्थित हैं। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2018 को तहसीलदार साहब चौमूं के आदेश की पालना में पटवारी द्वारा किया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमूं को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2018 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जयपुर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.03.05 16:21:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: